



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 351) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

11 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-44/2020-1242/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बेगूसराय जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् बीहट का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4353 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं0	थाना संख्या	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)
1	2	3	4	5
1	नगर परिषद्, बीहट	देवना 533 जैमरा 536 मिल्की जैमरा 551 माखोपुर 534 मालती 477 पिपरा देवस 484 असुरारी 472 हाजीपुर 482 विष्णुपुर चौद 541 मल्हीपुर 503 (अंश) (सिमरिया 500 (अंश))	मल्हीपुर उत्तर (पूर्ण भाग) एवं मल्हीपुर दक्षिण, मोसादपुर, पिपरा देवस हाजीपुर (आंशिक)	उत्तर-तेघड़ा अंचल, किरतौल, बथौली, हवासपुर-508, सिंगदाहा-510 एवं पिपरा देवस-473 दक्षिण-गंगा नदी पूरब-पिपरौर-509, हवासपुर-508, डोलीपुर-522, चकबल्ली-540, भष्करा-532 एवं मटिहानी अंचल तथा बेगूसराय अंचल पश्चिम-सोगराहा (तेघड़ा अंचल) 389, चकबल सोरनाथ सिमरिया 500 अंश

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद बीहट कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 351-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>